

**FORM NO. III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

देवेश कुमार वगैरह बनाम कल्याण वगैरह

मु.नं. 159/2025

किस्म मुकदमा - वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.12.2025	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा बाबत वेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये स्पीड पोस्ट डाक वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.01.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</b></p> <p><u>24.12.25</u> प्रार्थिका/वादीगण की ओर से अभिभाषक श्री सुबनेश शिवेदी द्वारा कालत कालतनामा पेश कर पत्रावली को तलब करने एवं Not Press करने के निवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। ककील वादी ने अवगत कराया कि प्रार्थिका/वादीगण पत्रावली को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। इस वाकत ककील वादी द्वारा पत्रावली पर Not Press किया। ककील वादी द्वारा दिया गया Not Press को स्वीकार किया जाकर पत्रावली की कार्यवाही इसी त्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली कैसल शुभार होकर सादर इफ्तार हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</b></p>	<p>Not Press</p> <p>24/12/2025</p>